आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती सीमा सिंह, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-05/2017-18

सुमन सुचिता सांगा, पति श्री नवीन सांगा निवास ग्राम–जोरार पुरूलिया रोड (सीमेन्ट गोदाम),महाबीर मंदिर, पोस्ट+थाना–नामकुम, जिला राँची ... प्रथम पक्ष

बनाम

विनोद मण्डल, पिता स्व॰ पारस मण्डल, निवास ग्राम–जोरार पुरूलिया रोड (सीमेन्ट गोदाम),महाबीर मंदिर, पोस्ट+थाना–नामकुम, जिला राँची

आदेश

09.09.22

प्रथम पक्ष सुमन सुचिता सांगा, पति श्री नवीन सांगा, निवास ग्राम–जोरार पुरूलिया रोड (सीमेन्ट गोदाम), महाबीर मंदिर, पोस्ट+थाना–नामकुम, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष विनोद मण्डल, पिता स्व॰ पारस मण्डल, निवास ग्राम–जोरार पुरूलिया रोड (सीमेन्ट गोदाम), महाबीर मंदिर, पोस्ट+थाना–नामकुम, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
जोरार	215	112	580	08 डीसमिल

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक के द्वारा अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे वकास्त भूईहरी मुण्डाई दासो मुण्डा वो झरी मुण्डा वल्द मंगरा मुण्डा के नाम से दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। आवेदिका उक्त भूमि को सक्षम न्यायालय से विक्रय अनुमति प्राप्त कर निबंधन पट्टा द्वारा प्राप्त किया गया है। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्षगण को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया है, एवं अंचल अधिकारी, नामकोम से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्ति के बाद न्यायालय में उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष ने अपने ब्यान में कहा है कि उक्त भूमि को दासो मुण्डा पिता झरी मुण्डा से सादा हुकमनामा से आवेदक के पिता स्व॰ पारस मण्डाल ने 15.5.1944 में प्राप्त खपडापोस मकान बनाया था। आवेदक को पर्याप्त समय देने के बावजूद उनकी ओर किसी प्रकार का वैध कागजात दाखिल नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के पास प्रश्नगत जमीन से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, एवं वे अवैध रूप से दखलकार है।

प्रथम पक्ष के आवेदन, द्वितीय पक्ष के जवाब एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी बकाश्त भूईहरी दर्ज है। द्वितीय पक्ष सादा पट्टा से 15.5.1944 को जमीन खरीदने का दावा करते है, परन्तु कथित सादा पट्टा के आधार पर जमींदारी रसीद या सरकारी लगान रसीद निर्गत होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। भूईहरी जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है। यह स्पष्ट रूप से छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 का उल्लंघन है।

कृ०पृ०उल्टे

अंचल अधिकारी, नामकोम ने पत्रांक–155(ii)दिनांक–07.02.2019 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में बकास्त भुईहरी नाम लगान पाने वाला दासो मुण्डा वगैरह दर्ज है। उक्त भूमि दो रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीदगी द्वारा सुमन सुचिता सांगा पत्नी श्री नवीन सांगा की भूमि है। द्वितीय पक्ष ने जमीन कैसे प्राप्त किया यह अस्पष्ट है। द्वितीय पक्ष भूमि के कुछ अंश में कच्चा मकान बना हुआ सहित पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष भूईहरी खाते की जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है। भुईहरी जमीन अस्तान्तरणीय होता है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्ष को बेदखल करते हुए जमीन प्रथम पक्ष सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 06 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, नामकोम को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार कार्रवाई करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

09/09/22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

09/09/22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक— 218(ii) दिनांक— 16/12/22

प्रतिलिपि:— अंचल अधिकारी नामकोम को पारित आदेश की प्रश्नगत भूमि पर दखल देहानी हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13-12-22
वि० वि० पदा०

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.08 15:09:38 +05:30
Location: 192.168.166.39